

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 266 / 2012

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 266 / 2012

संस्थापित दिनांक 14 / 05 / 2012

फाईलिंग नम्बर 230303006972012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. दिलीप सिंह पुत्र नवल सिंह उम्र 43 वर्ष
निवासी-गोपालपुरा जिला मुरैना, म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-304 ए भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री एस0एस0 श्रीवास्तव।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 11.04.2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 16/04/12 को शाम लगभग 09:30 बजे फरियादी भागीरथ राठौर के मकान के सामने ग्राम धमसा के पुरा में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टाटा मेटाडोर 704 क्रमांक जीए 2989 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी भागीरथ के चाचा मृतक छिटंकी को टक्कर मारकर उनकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 304 ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16.04.12 को फरियादी भागीरथ के चाचा छिटंकी शौच के लिए सड़क की तरफ जा रहे थे तभी सामने से दूध वाली मेटाडोर टाटा 704 सफेद रंग की आई थी, जिसका चालक मेटाडोर को तेजी व लापरवाही से

चलाता हुआ लाया एवं फरियादी के चाचा छिटंकी में टक्कर मार दी जिससे छिटंकी की पीठ कमर व शरीर में जगह-जगह चोटें आई थीं। छिटंकी को इलाज हेतु बाराहेडपेडा पर डॉ० रमेश सिंह कुशवाह के पास ले जाया गया था एवं एवं उनका इलाज हुआ था। इसके बाद छिटंकी को घर लाया गया था। दिन के करीब 2 बजे छिटंकी की मृत्यु हो गई थी। मौके पर फरियादी के भाई चेताराम एवं सरपंच प्रकाश सिंह मौजूद थे। फरियादी ने घटना के संबंध में अपराध क्रमांक 0/12 पर देहाती नालसी लेखबद्ध करवाई कई थी। तत्पश्चात् फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा अपराध क्रमांक 33/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 16.04.12 को सुबह लगभग 9:30 बजे फरियादी भागीरथ राठौर के मकान के सामने ग्राम धमसापुरा के पुरा में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टाटा मेटाडोर 704 क्रमांक जीए 2989 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक छिटंकी को टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से चेताराम अ०सा० 1, प्रकाशसिंह अ०सा० 2, प्रधान आरक्षक नायक सिंह भदौरिया अ०सा० 3, रमेश अ०सा० 4, शिवनाथ अ०सा० 5, डॉ० आर० विमलेश अ०सा० 6, फरियादी भागीरथ अ०सा० 7 एवं साक्षी रामसनेही अ०सा० 8 को परीक्षित किया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी भागीरथ अ०सा० 7 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4-5 साल

पहले सुबह 9 साढ़े 9 बजे की है उसके चाचा छिटंकी घर के बाहर लेट्रिंग करने जा रहा थे तभी सामने से मेटाडोर आई थी और उसक चाचा को टक्कर मार दी थी, जिससे उसके चाचा को पीठ कमर व शरीर में जगह-जगह चोटें आई थीं। वह अपने चाचा को इलाज के लिए बाराहेडपेडा पर राकेश सिंह कुशवाह के यहां ले गया था, जिसने उसके चाचा की दवा-पट्टी की थी। उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी। उसने धमसापुरा में रिपोर्ट की थी रिपोर्ट प्र०पी० 8 है जिसे ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्र०पी० 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सफीना फॉर्म प्र०पी० 5 है एवं नक्शा लाश पंचायतनामा प्र०पी० 6 है, जिनके क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि जब उसके चाचा लेट्रिंग करने जा रहा था, तब एक दूध वाली सफेद रंग की मेटाडोर टाटा 704 का चालक मेटाडोर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके चाचा को टक्कर मार दी थी।

08. साक्षी प्रकाश सिंह अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 2 साल पहले छिटंकी का ग्राम धमसा का पुरा में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट दूधवाली मेटाडोर से हुआ था। उस समय वह हार में था। वह हार से घर पर आया था तब घटना स्थल पर दोनों पार्टियां थीं जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके घरवाले थे एवं मेटाडोर का चालक था। वह चालक को नहीं पहचान पाएगा। उसे दूधवाली मेटाडोर का नम्बर नहीं पता। एक्सीडेंट दूधवाली मेटाडोर के चालक की गलती से हुआ था। गाड़ी वाले ने छिटंकी का मेडिकल करवा कर उसे घर पर छोड़ दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को उसके सामने दूधवाली गाड़ी ने छिटंकी के टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

09. साक्षी चेताराम अ०सा० 1 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था उस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी रामसनेही अ०सा० 8 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि छिटंकी की उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4-5 साल पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उसे अन्य कोई जानकारी नहीं है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

10. साक्षी शिवनाथ अ०सा० 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी दिलीप को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग 2 साल से ज्यादा पुरानी है। मृतक छिटंकी उसके चाचा थे। उसके चाचा दरवाजे पर बैठे हुए थे एवं वह उपर की ओर बैठा हुआ था तभी सफेद रंग की दूधवाली गाड़ी आई, जिसे दिलीप चला रहा था। उससे उसके चाचा छिटंकी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी वाले ने गाड़ी को एकदम मोड़ दिया था जिससे छिटंकी को टक्कर लग गई थी और छिटंकी की मृत्यु हो गई थी। वहां पर छोटे-छोटे बच्चे थे। गाड़ी को एक

तरफ करके चाचा को निकाल लिया था। इसके बाद वह गोहद अस्पताल ले कर आया था, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ था। सफीना फॉर्म प्र0पी0 5 एवं नक्शा लाश पंचायत नामा प्र0पी0 6 है, जिसके क्रमश ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। चालक ने जोरदारी से गाड़ी को मोड़ा था। जोरदारी से उसका आशय तेजी से मोड़ना है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह आया था तब उसके चाचा जिंदा थे फड़फड़ा रहे थे और पानी पीकर मर गए थे।

11. रमेश अ0सा0 4 ने कथन किया है कि उसने न्यायालयीन कथन से लगभग 2 साल पहले एक्सीडेंट में घायल एक आदमी पट्टी कराने आया था तथा उसने उसकी पट्टी बांध दी थी तथा ग्वालियर अस्पताल ले जाने के लिए कहा था।

12. डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 4 द्वारा मृतक छिटंकी के शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 7 को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक नायक सिंह भदौरिया अ0सा0 3 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

14. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक को मृतक छिटंकी की मृत्यु हुई थी। उक्त संबंध में डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 6 ने अपने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 17.04.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में थाना गोहद चौराहे के आरक्षक अजयपाल सिंह द्वारा लाए जाने पर मृतक छिटंकी के शव का पोस्टमार्टम किया था। परीक्षण के दौरान उसने पाया था कि मृतक की हसली की हड्डी टूटी हुई थी। लिवर का पिछला भाग फटा हुआ था। दाहिने पैर की फीमर हड्डी का उपरी हिस्सा टूटा हुआ था। पैर की हड्डी टूटी हुई थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें सख्त एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के 24 घण्टे के अंदर की थीं। उसकी शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. साक्षी रमेश अ0सा0 4 ने यह व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 2 साल पहले उसके पास एक्सीडेंट में घायल एक आदमी पट्टी कराने आया था तथा उसने उसकी पट्टी बांध दी थी एवं उसे इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल ले जाने को कहा था।

16. फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 ने भी घटना दिनांक को मृतक छिटंकी की मृत्यु होना बताया है। साक्षी प्रकाश सिंह अ0सा0 2, शिवनाथ अ0सा0 5 एवं रामसनेही अ0सा0 8 ने भी घटना दिनांक को छिटंकी की मृत्यु होना बताया है।

17. इस प्रकार डॉ0 विमलेश अ0सा0 6 द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसने दिनांक 17.04.12 को मृतक छिटंकी के शव परीक्षण का पोस्टमार्टम किया गया था तथा उसके मतानुसार छिटंकी की मृत्यु उसके परीक्षण अवधि के पूर्व 24 घण्टे के अंदर हुई थी। फरियादी भागीरथ अ0सा0 7, रामसनेही अ0सा0 8 एवं शिवनाथ अ0सा0 5 ने भी घटना दिनांक को छिटंकी की एक्सीडेंट में मृत्यु होना बताया है। प्र0पी0 8 की देहाती नालसी में भी घटना दिनांक को छिटंकी की मृत्यु होने का उल्लेख है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 6 ने भी मृतक छिटंकी का शव

परीक्षण करना बताया है उक्त साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान डॉ० आर विमलेश अ०सा० 6 का कथन मृतक छिटंकी की मृत्यु घटना दिनांक को होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को मृतक छिटंकी की मृत्यु हुई थी।

18. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या मृतक छिटंकी की मृत्यु वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप हुई थी? उक्त संबंध में फरियादी भागीरथ अ०सा० 7 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उसके चाचा छिटंकी घर के बाहर सड़क पर शौच के लिए जा रहे थे तभी एक मेटाडोर ने उसके चाचा छिटंकी के टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी पीठ, कमर व शरीर में जगह-जगह चोटें आई थीं। वह अपने चाचा को इलाज के लिए बाराहेडपेड़ा पर राकेश सिंह कुशवाह के यहां ले गया था, जहां उनका इलाज हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे उसके चाचा छिटंकी की मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा साक्षी के उक्त कथन का कोई खंडन नहीं किया गया है।

19. साक्षी रमेश अ०सा० 4 ने भी व्यक्त किया है कि उसने अपने न्यायालयीन कथन से 2 साल पहले एक्सीडेंट में घायल एक आदमी की पट्टी की थी एवं उसे इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल ले जाने को कहा था। यद्यपि रमेश अ०सा० 4 ने एक्सीडेंट में घायल एक व्यक्ति का इलाज करना बताया है, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसके द्वारा किस व्यक्ति का इलाज किया गया था।

20. साक्षी प्रकाश सिंह अ०सा० 2 शिवनाथ अ०सा० 5 एवं रामसनेही अ०सा० 8 ने भी छिटंकी का घटना दिनांक को एक्सीडेंट होना एवं एक्सीडेंट में आई चोटों से छिटंकी की मृत्यु होना बताया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्य के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। डॉ० आर विमलेश अ०सा० 6 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि मृतक छिटंकी का लीवर फटा हुआ था तथा फीमर हड्डी का उपरी हिस्सा टूटा हुआ था एवं छिटंकी की मृत्यु लीवर फटने तथा हड्डी टूटने से उत्पन्न रक्तस्राव के कारण हुई थी। आरोपी की ओर से उक्त तथ्य के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि मृतक छिटंकी की मृत्यु वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।

21. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त वाहन दुर्घटना आरोपी द्वारा आरोपित मेटाडोर क्रमांक जीए 2989 को उपेक्षा अथवा उतावलेपनपूर्ण तरीके से चलाते हुए कारित की गई थी। उक्त संबंध में फरियादी भागीरथ अ०सा० 7 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4-5 साल पहले सुबह 9 साढ़े 9 बजे उसके चाचा छिटंकी घर के बाहर लेट्रिंग करने जा रहे थे तभी एक मेटाडोर ने उसके चाचा को टक्कर मार दी थी जिससे उसके चाचा छिटंकी को शरीर में जगह-जगह चोटें आई थीं वह चाचा का इलाज के लिए बाराहेडपेड़ा में राकेश सिंह कुशवाह के यहां ले गया था जहां उनकी दवा पट्टी हुई थी। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार फरियादी भागीरथ अ०सा० 7 ने अपने कथन में मृतक छिटंकी का मेटाडोर से एक्सीडेंट होना एवं छिटंकी की एक्सीडेंट में मृत्यु होना बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना

कारित करने वाली मेटाडोर का नम्बर क्या था और वह कैसे चल रही था उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है।

22. साक्षी प्रकाशसिंह अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि छिटंकी का दूधवाली मेटाडोर से एक्सीडेंट हुआ था घटना के समय वह हार में था वह हार से घर आया था तब घटना स्थल पर दोनों पार्टियां थी वह चालक को नहीं पहचान पाएगा। उसे दूधवाली मेटाडोर का नम्बर नहीं मालूम है। एक्सीडेंट दूधवाली मेटाडोर की गलती से हुआ था। गाड़ी वाले ने छिटंकी का मेडिकल करवा कर घर पर छोड़ दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने छिटंकी का एक्सीडेंट हुआ था। इस प्रकार साक्षी प्रकाश सिंह अ0सा0 2 के कथन से यह दर्शित है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह गाड़ी चालक को नहीं पहचानता है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

23. साक्षी चेताराम अ0सा0 1 ने भी घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी रामसनेही अ0सा0 8 ने भी अपने कथन में छिटंकी की एक्सीडेंट में मृत्यु होना बताया है एवं व्यक्त किया है कि इसके अलावा उसे अन्य कोई जानकारी नहीं है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उनके सामने मेटाडोर चालक ने मेटाडोर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए छिटंकी को टक्कर मार दी थी। इस प्रकार साक्षी चेताराम अ0सा0 1 एवं रामसनेही अ0सा0 8 द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

24. साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी दिलीप को जानता है वह गाड़ी में आता था इसलिए जानता है। घटना वाले दिन उसके चाचा छिटंकी दरवाजे के सामने बैठे थे एवं वह उपर की ओर बैठा था। तभी सफेद रंग की चार पहिए दूध की गाड़ी आई थी जिसे दिलीप चला रहा था। जिससे चाचा छिटंकी का एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी वाले ने गाड़ी को एकदम से मोड़ा था जिससे छिटंकी को टक्कर लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां पर और छोटे-छोटे बच्चे थे गाड़ी को एक तरफ करके चाचा को निकाल लिया था। फिर उन्हें गोहद अस्पताल लेकर आए थे। जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब वह आया था तब उसके चाचा जिंदा थे तोड़ा फडफडाए थे फिर पानी पीकर मर गए थे।

25. इस प्रकार साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसके चाचा दरवाजे के सामने बैठे थे तभी आरोपी दिलीप ने मेटाडोर को चलाते हुए छिटंकी को टक्कर मार दी थी परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि छिटंकी दुर्घटना के समय अपने दरवाजे के सामने बैठे थे देहाती नालसी प्र0पी0 8 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्र0पी0 8 की देहाती नालसी के

अनुसार घटना के वक्त मृतक छिटंकी लेट्रिंग करने जा रहे थे, जबकि शिवनाथ अ0सा0 5 का कहना है कि एकसीडेंट के समय छिटंकी दरवाजे के सामने बैठे थे। इसके अतिरिक्त फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 ने भी यह बताया है कि घटना के समय छिटंकी लेट्रिंग करने सड़क पर जा रहे थे। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 के कथन फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं।

26. इसके अतिरिक्त शिवनाथ अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि गाड़ी वाले ने गाड़ी को एकदम से मोड़ा था जिससे छिटंकी को टक्कर लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। वहां पर छोटे-छोटे बच्चे थे गाड़ी को एक तरफ करके चाचा को निकाला था। इसके बाद उन्हें गोहद अस्पताल ले गए थे, जहां उनका इलाज हुआ था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब वह आया था तब उसके चाचा जिंदा थे। वह थोड़ा फड़फड़ाए थे और पानी पीकर मर गए थे। शिवनाथ अ0सा0 5 के कथनों से यह प्रकट होता है कि मृतक छिटंकी गाड़ी के नीचे दब गए थे एवं उसने बच्चों की सहायता से गाड़ी को एक तरफ करके चाचा को निकाला था परंतु यह बात कि मृतक छिटंकी गाड़ी के नीचे दब गए थे फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 द्वारा नहीं बताई गई है न ही इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0 8 की देहाती नालसी में है। शिवनाथ अ0सा0 5 के कथनानुसार छिटंकी की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना सुबह साढ़े 9 बजे की है एवं छिटंकी की मृत्यु दिन के लगभग 2 बजे हुई थी। शिवनाथ अ0सा0 5 का कहना है कि छिटंकी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी एवं इसके बाद छिटंकी को पोस्टमार्टम के लिए वह गोहद अस्पताल लेकर आया था जबकि फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह एकसीडेंट के बाद बाराहेडपेड़ा राकेश कुशवाह के यहां ले गया था उन्होंने छिटंकी की दवापट्टी की थी इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे छिटंकी की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर शिवनाथ अ0सा0 5 के कथन फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त बिंदु पर साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 के कथन देहाती नालसी प्र0पी0 8 से भी पुष्ट नहीं रहे हैं। उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्त्विक है जो शिवनाथ अ0सा0 5 की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद बना देता है।

27. शिवनाथ अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने एकसीडेंट होते हुए देखा था परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 8 की देहाती नालसी एवं फरियादी भागीरथ के पुलिस कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि घटना के वक्त मौके पर शिवनाथ भी उपस्थित था। यदि वास्तव में शिवनाथ मौके पर उपस्थित था तो इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0 8 की देहाती नालसी एवं फरियादी भागीरथ के पुलिस कथन में अवश्य होता, परंतु प्र0पी0 8 की देहाती नालसी एवं फरियादी भागीरथ के पुलिस कथन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि घटना के वक्त मौके पर शिवनाथ भी उपस्थित था। यह तथ्य भी साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद बना देता है।

28. साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि घटना उसके दरवाजे पर हुई थी। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना फरियादी भागीरथ के दरवाजे पर हुई थी इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 के कथन प्र0पी0 8 की देहाती नालसी से पुष्ट नहीं रहे हैं जो साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।

29. साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना के वक्त उसने गाड़ी को एक तरफ करके छिटंकी को निकाला था। इस प्रकार शिवनाथ अ0सा0 5 के कथनानुसार दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मौके पर खड़ा रहा। यदि वास्तव में दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मौके पर खड़ा रहा था तो उक्त मेटाडोर को घटना दिनांक को ही जप्त किया जाना चाहिए था परंतु आरोपित मेटाडोर को जप्तीपंचनामा प्र0पी0 3 के अनुसार दिनांक 24.04.12 को जप्त किया गया है। यह तथ्य भी साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 के कथनों की विश्वसनीयता खंडित करता है।

30. इस प्रकार साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 के कथनों से यह दर्शित है कि प्र0पी0 8 की देहाती नालसी प्र0पी0 9 के नक्शे मौके एवं प्र0पी0 3 के जप्ती पंचनामे से पुष्ट नहीं रहे हैं। साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 के कथन तात्विक बिंदुओं पर फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन विश्वास योग्य नहीं हैं एवं उक्त साक्षी के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी दिलीप ने आरोपित मेटाडोर को चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी।

31. साक्षी रमेश अ0सा0 4 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी ने मात्र एकसीडेंट में घायल आदमी की दवापट्टी करना बताया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि उसने किस व्यक्ति का इलाज किया था। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

32. जहां तक प्रधान आरक्षक नायक सिंह भदौरिया अ0सा0 3 के कथन का प्रश्न है तो नायक सिंह भदौरिया अ0सा0 3 द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया है उक्त साक्षी ने दिनांक 24.04.12 को आरोपी दिलीप से मेटाडोर क्रमांक एमपी 07 जीए 2989 जप्त करना बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 16.04.12 की है अतः दिनांक 24.04.12 को आरोपी से मेटाडोर जप्त करने मात्र से अभियोजन घटना प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

33. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी भागीरथ अ0सा0 7 एवं साक्षी चेताराम अ0सा0 1 प्रकाश सिंह अ0सा0 2 रमेश अ0सा0 4 एवं रामसनेही अ0सा0 8 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 द्वारा अभियोजन कहानी के विपरीत घटना बताई गई है। साक्षी शिवनाथ अ0सा0 5 की मौके पर उपस्थिति ही संदेहास्पद है। प्रधान आरक्षक नायक सिंह अ0सा0 3 प्रकरण के औपचारिक साक्षी है उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को आरोपित मेटाडोर क्रमांक जीए 2989 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक छिटंकी में टक्कर मार कर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

34. संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है।

अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

35. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 16.04.12 को सुबह करीबन साढ़े 9 बजे फरियादी भागीरथ के मकान के सामने लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मेटाडोर टाटा 704 क्रमांक जीए 2989 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मृतक छिटंकी में टक्कर मार कर उसे चोट पहुंचा कर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी दिलीप सिंह तोमर को भा0द0सं0 की धारा 304-ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

36. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

37. प्रकरण में जप्तशुदा मेटाडोर क्रमांक एम.पी.07 जीए 2989 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 11.04.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)